**Area under palm plantation in Andaman and Nicobar Islands**

588. SHRI JAGESH DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the total area under Palm plantation in Andaman and Nicobar Islands;

(b) whether it is a fact that after 1986 negligible Palm plantation is effected in these Islands;

(c) if so, what are the reasons therefor and what steps Covernment propose for massive Palm plantation in the Islands; and

(d) whether Covernment have fixed any targets for Palm plantation in the area during the ensuing Five Years period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) The total area under Oil Palm palanta tion in Andman and Nicobar Islands is is 1,593 & hectares.

(b) Yes, Sir.

(c) Following widespread criticism about adverse implications of clear felling of rain and woist tropical forests for raising oil palm plantation, an inter-disoiplinary team was constituted by the Covt. of India. On the basis of the report submitted by the team it was decided not to extend andy further oil palw plantation in Andaman Nicobar Islands.

(d) No Sir

**कृषि उत्पादों की उत्पादन-दर**

589. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन**
**श्री रणजीत सिंह**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1992 के "फाइनेंशियल एक्सप्रैस" में "मेकेनिज्म फार इम्प्रूवमेंट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विश्व के कुल सबसे बड़े अन्न उत्पादक देशों में भारत का स्थान है और क्या यह भी सच है कि खाद्यान्न उत्पादन की औसत दर की दृष्टि से इस देश का स्थान बहुत नीचे हैं ;

(ग) सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में गेहूं, चावल, गन्ना, दालों और तिलहनों की अलग-अलग औसत उत्पादन दर क्या है और सरकार ने उपर्युक्त औसत दर में वृद्धि करने के लिए क्या योजनायें तैयार की हैं; और

(घ) अगले पांच वर्षों के दौरान औसत उत्पादन दर में वृद्धि करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचदन)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) प्रमुख उत्पादक राज्यों में 1989-90 (उपलब्ध) के लिए सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों के तहत गेहूं, चना, गन्ना, तोरिया एवं सरसों, मूंगफली तथा चावल की राज्य-वार औसत उपज दरें विवरण में दी गई हैं (नीचे देखिए) इन सभी फसलो की औसत उपज बढ़ाने के लिए, सरकार कुछ फसल उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है ।

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम— गेहूं, दालों तथा मक्का और कदन्नों के लिए ।

(2) समेकित चावल विकास कार्यक्रम ।

(3) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम ।

(4) तिलहनों उत्पादन कार्यक्रम ।

(5) कीटों, रोगों और नमी की कमी की प्रतिरोधी संकर चावल की किस्मों का विकास करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ाना ।

(6) प्रभावकारी मण्डी तथा मूल्य समर्थन ।